وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ
أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ
يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥ وَٱلَّذَانِ
يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ
عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦ إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ
لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ
فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١٧
وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمۡ
كُفَّارٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ
لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن
تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩ وَإِنۡ أَرَدتُّمُ
ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا
تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ
تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم
مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ

ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Theme					
Initial order relating to the punishment for women guilty of fornication. Acceptable vs. unacceptable repentance. Women should not be treated as a part of estate. Do not take dowry back from women. Prohibition from marrying the wife of one's father.	ज़िना की मुर्तकिब औरतों के लिए सज़ा का इब्तिदाई हुक्म। क़ाबिल-ए-क़ुबूल और नाक़ाबिल-ए-क़ुबूल तौबा। औरतों को मीरास का हिस्सा समझ कर उनके साथ सुलूक न किया जाए। औरतों से महर वापस न लो। बाप की मन्कूहा औरत से निकाह की मुमानिअत।				
Tarjumani					
If any of your women are guilty of fornication, ask for four reliable witnesses from among yourselves against them; and if they testify and their guilt is proved, confine them to their houses until they die or Allah opens some other way out for them (Allah did open another way. He abrogated these two verses through the verses of Surah An-Noor: 2-10). And the two, whether married or unmarried, who are guilty of this offense, punish them both. If they repent and mend their ways, leave them alone. Surely, Allah is the Acceptor of Repentance, Merciful. Repentance with Allah (right to be forgiven by Allah) is only for those who do something evil in ignorance and repent as soon as they realize it;	तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुर्तकिब हों उनपर अपने में से चार आदमियों की गवाही लो, और अगर चार आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बन्द रखो, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे	और तुममें से जो इस फ़ेल का इर्तिकाब करें उन दोनों को तकलीफ़ दो, फिर अगर वे तौबा करें और अपनी इसलाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करनेवाला और रहम फरमानेवाला है	हाँ, यह जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक़ उन्हीं लोहों के लिए है जो नादानी की वज़ह से कोई बुरा फ़ेल कर गुज़रते हैं और उसके बाद जल्दी ही तौबा कर लेते हैं	ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नज़रे-इनायात से फिर मुतवज्जिह हो जाता है, और अल्लाह सारी बातों की ख़बर रखनेवाला और हकीम व दाना है	मगर

Allah will pardon them. Allah is the Knowledgeable, Wise. There is no repentance for those who persist in their evil deeds until death approaches anyone of them and he says: "surely, now I repent." Similarly, there is no repentance for those who die while they were still unbelievers; for them We have prepared a painful punishment. O believers! It is not lawful for you to consider women as a part of your inheritance and retain them against their will in order that you may force them to give up a part of the dowry you have given them, unless they are guilty of proven fornication. Treat them with kindness even if you dislike them; it is quite possible that you dislike some-thing in which Allah has placed much good. If you wish to marry another woman in place of the one you already have, do not take back anything of what you have given her even if it be a heap of gold. Would you take it back through slander and open sin (accusing her unjustly)? And how could you take it back when you have enjoyed conjugal happiness and she had taken from you a firm pledge of marriage? Do not marry those women whom your fathers had married, except what happened prior to this commandment. Surely, it was shameful, disgusting, and an evil	तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक़्त आ जाता है उस वक़्त वह कहता है कि अब मैंने तौबा की	और इसी तरह तौबा उन लोगों के लिए भी नहीं है जो मरते दम तक काफ़िर रहें	ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है	ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए यह हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो	और न यह हलाल है कि उन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो	हाँ, अगर वे किसी सरीह बदचलनी की मुर्तकिब हों (तो ज़रूर तुम्हें तंग करने का हक़ है)	उनके साथ भले तरीक़े से ज़िन्दगी बसर करो	अगर वे तुम्हें नापसन्द हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो	और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो खाह तुमने उसे ढेर-सा माल ही क्यों न दिया हो, उसमें से कुछ वापस न लेना	क्या तुम उसे बहुतान लगाकर और सरीह जुल्म करके वापस लोगे? और आख़िर तुम उसे किस तरह ले लोगे जब कि तुम एक-दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हो और वे तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं? और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका	दरहकीकत यह एक बेहयाई का फ़ेल है, नापसन्दीदा है और बुरा चलन है	

practice.	
Tafsir	